न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,धनबाद।

(छोटानागपुर काश्तकारीअधिनियम की धारा 46 के तहत अनुमति)

एम0 आर0 केश नं0– 111/2022–23

–:आदेश:–

23/2/23 अभिलेख आज उपस्थापित। आवेदक के आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, बलियापुर से जॉच प्रतिवेदन की मांग की गयी। अंचल अधिकारी, बलियापुर के पत्रांक– 87, दिनांक– 01.02. 2023 द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि आवेदक किशुन महतो, पिता– स्व0 चण्डी चरण महतो, साकिम+पोस्ट– पलानी, थाना– बलियापुर, जिला– धनबाद अपनी जमीन मौजा– पलानी, मौजा नं0– 40, पुराना खाता नं0– 63, पुराना प्लॉट सं0– 63, नया खाता सं0– 301, नया प्लॉट सं0– 42 एवं 43, क्रमशः रकवा– 1.5 + 6.5 = 08 डिसमील भूमि क्रेता इन्द्रजीत महतो, पिता– छुटु महतो, साकिम– धोखरा (बाँधडीह), पो0– दामोदरपुर, थाना– बलियापुर, जिला– धनबाद को बेचने की अनुमति चाहते है। अंचल अधिकारी ने अपने प्रतिवेदन मे प्रतिवेदित किया है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही जाति के कुर्मी है तथा दोनो एक ही थाना– बलियापुर, जिला– धनबाद के निवासी है। जमीन रैयती खाते की है, बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास 95 डिसमील भूमि शेष बचती है। अंचल अधिकारी के द्वारा आवेदित भूमि की बिक्री हेतु अनुमति देने की अनुशंसा भी की गयी है।

अतः छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आवेदक को प्रश्नगत जमीन बिक्री करने की अनुमति उपायुक्त द्वारा निर्धारित दर पर की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित,

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
धनबाद।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
धनबाद।

Digitally signed by SATISH CHANDRA
Date: 2023.09.02 11:54:48 +05:30
Location: 192.168.29.168

Scanned by CamScanner